WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

SEPTEMBER 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- इन छह वजहों से अटका हो सकता है आपका आयकर रिफंड
- आयकर विभाग ने कई नई सुविधाओं के साथ संशोधित वेबसाइट जारी की
- पहले रिटर्न भरकर बाद में आयकर चुका सकेंगे
- नियोक्ताओं से मिले बिना किराये वाले घर पर देना होगा कम टैक्स
- बड़े बिजली उपभोक्ताओं को जीएसटी से राहत
- बैंक डिजिटल धोखाधड़ी रोकने को बना रहे पोर्टल
- कर्ज न चुकाने पर सिर्फ उचित शुल्क ले पाएंगे बैंक
- ई-वे बिल पर छोटे व बड़े व्यापारी आमने - सामने
- रिफंड का समय घटाने की योजना
- डाकघर के एक खाते से तीन लोग जुड़ सकेंगे
- डाकघर के एक खाते से तीन लोग जुड़ सकेंगे
- अब बिल्डर नहीं कर सकेंगे परियोजना की धनराशि को बंदरबांट : भूसरेड्डी
- क्वालिटी कंट्रोल से एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा
- भविष्य निधि खाते में 11 विवरण खुद दुरुस्त कर सकेंगे
- UP introduces Accident Insurance Scheme for Micro Enterprises to Reach 90 Lakh Beneficiaries
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

इन छह वजहों से अटका हो सकता है आपका आयकर रिफंड

नौकरीपेशा आयकरदाताओं के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी । काफी लोगों का रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और उन्हें रिफंड भी मिल चुका है । जिन लोगों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है उनके खाते में रिफंड की राशि न आने के कई संभावित कारण हो सकते हैं । देरी का कारण निर्धारित करने के लिए इन संभावनाओं की जांच करना काफी महत्वपूर्ण है । आप आयकर विभाग से आने वाले ई-मेल पर नजर रखें । अगर कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी गई हो तो तुरंत उसे उपलब्ध कराएं।

आईटीआर अभी जांच प्रक्रिया में हो

अगर आईटीआर अभी प्रोसेस प्रक्रिया के अधीन है तो आपको रिफंड देर से मिल सकता है। आमतौर पर आईटीआर संसाधित करने में कुछ दिन लगते हैं । यदि आपको अपना आईटीआर दाखिल किए हुए काफी समय हो गया है और आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है , तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रिफंड की स्थिति की जांच करनी चाहिए। आईटीआर दाखिल करने के कुछ मामले अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग के जरिए जांच के लिए जाते हैं। यदि आपका रिटर्न जांच प्रक्रिया के तहत है , तो आईटीआर रिफंड खाते में जमा होने में समय लगेगा।

आईटीआर रिफंड पात्रता

आपको यह भी जांचना होगा कि आप रिफंड पाने के पात्र हैं या नहीं । आपको आयकर रिटर्न रिफंड केवल तभी प्राप्त होगा जब आयकर विभाग आपके आयकर रिटर्न को संसाधित करके आपको इसके के लिए पात्र बनाता है । एक बार जब आयकर विभाग आपकी पात्रता की पुष्टि कर देता है तो रिफंड आमतौर पर चार सप्ताह के भीतर जमा कर दिया जाता है।

गलत बैंक खाता

अगर आपने रिटर्न दाखिल करते समय गलत बैंक विवरण दिया है तो टै टैक्स रिफंड आपके खाते में जमा नहीं किया जाएगा । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक खाते में रजिस्टर नाम आपके के पैन कार्ड के विवरण से मेल खाना चाहिए। रिफंड उस बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसका उल्लेख आपने अपने आईटीआर में किया है।

आईटीआर का ई-सत्यापन करना जरुरी

आईटीआर रिफंड केवल तभी जारी किया जाएगा जब आईटीआर को दाखिल करने के बाद ई-सत्यापित किया गया हो क्योंकि आईटीआर दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया में यह एक अनिवार्य आवश्यकता है । सभी करदाताओं को अपना आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

पिछले वर्ष का बकाया

यदि आपके पास पिछले वित्तीय वर्ष से कुछ बकाया है , तो आपको आईटीआर रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है ।ऐसी स्थिति में आपके रिफंड का उपयोग उन बकाया राशि का निपटान करने के लिए किया जाएगा । हालांकि, आपको एक सूचना नोटिस के माध्यम से इसके बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा।

फॉर्म 26एएस गड़बड़ी

करदाताओं को पता होना चाहिए कि फॉर्म 26एएस आपके पैन के समक्ष भुगतान किए गए सभी टैक्स का एक समेकित विवरण है। अगर आपके आयकर रिटर्न में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरण और फॉर्म 26एएस में उल्लिखित टीडीएस विवरण के बीच कोई मेल नहीं हो रहा है , तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है।

आयकर विभाग ने कई नई सुविधाओं के साथ संशोधित वेबसाइट जारी की

मोबाइल पर आयकर रिटर्न दाखिल करना आसान होगा

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए संशोधित वेबसाइट जारी की है। इसमें कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनकी मदद से कर भुगतान और आयकर रिटर्न भरना पहले से आसान हो जाएगा । यही नहीं इसे मोबाइल संचालन के अनुरूप भी बनाया गया है। इससे मोबाइल पर ही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। आयकर विभाग के लिए इस वेबसाइट को सीबीडीटी ने डिजाइन किया है।

विभाग के अनुसार, वेबसाइट को इस तरह से बनाया गया है कि उपयोगकर्ताओं को काम की सारी चीजें एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेंगी । इसके लिए वेबसाइट के इंटरफेस और नेविगेशन में सुधार किया गया है । इसके साथ ही वेबसाइट में एक लेटेस्ट अपडेट का कॉलम भी दिया गया

है । इस कॉलम में करदाताओं को विभाग द्वारा जारी की गई नई सूचनाओं की जानकारी मिल पाएगी।

मेगा मेन्यू का विकल्प मिलेगा

आयकर विभाग के अनुसार, करदाताओं के अनुभव को बेहतर करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए फिर से तैयार किया गया है ।इसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं । इसी में 'मेगा मेनू ' का विकल्प भी शामिल हैं । इसमें कर बकाया , पेनाल्टी , आयकर रिटर्न फर्म , टैक्स कैलेंडर जैसे आयकर से जुड़े सभी जरूरी लिंक दिए गए हैं।

संचालन और बेहतर होगा

नए पोर्टल को मोबाइल के अनुसार भी तैयार किया गया है । मोबाइल पर खोलने पर नए बटन संकेत और दूसरी कई अन्य जानकारियां जैसे ई-वेरिफाई सिस्टम, लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार, इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस जैसे कई कॉलम दिखाई देंगे । खास बात यह है कि अब करदाता के लिए मोबाइल से भी आरटीआर दाखिल करना आसान हो जाएगा।

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

वीडियो से संदेह दूर होंगे

साथ ही कई चीजों की जानकारी के लिए वीडियो सेक्शन भी बनाया गया है। यहां कई तरह की जानकारियां ली जा सकती हैं। इनमें ऑफलाइन मोड में आयकर भुगतान कैसे करें से लेकर आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4 कैसे दाखिल करें, इसका विस्तृत ब्योरा दिया गया है।

आयकर धारा और नियमों की तुलना कर सकेंगे

वेबसाइट पर आयकर से जुड़ी सभी धाराओं और नियमों का ब्योरा भी जोड़ा गया है। करदाता को कर संबंधी किसी तरह की दिक्कत होने पर वह यहां से जानकारी प्राप्त कर सकता है। विभाग का कहना है कि यह एक अतिरिक्त पहल है, जिससे करदाताओं की जागरूकता बढ़ेगी । इसके अतिरिक्त, अन्य पोर्टलों के बारे में जानकारी जोड़ी गई है ।

विभाग की वेबसाइट पर करदाताओं के लिए सुविधा उपलब्ध

पहले रिटर्न भरकर बाद में आयकर चुका सकेंगे

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए 'फाइल आईटीआर नाउ, पे टैक्स लेटर' सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से कोई भी करदाता अभी आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद भी भविष्य में बकाये कर का भुगतान कर सकता है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर यह विकल्प मुहैया करा दिया गया है।

वर्तमान व्यवस्था में आईटीआर दाखिल करते वक्त लंबित आयकर का भुगतान करना पड़ता है। बिना कर चुकाए आईटीआर को दाखिल नहीं किया जा सकता है। विभाग के अनुसार, किन्ही कारणों की वजह से कई करदाता बकाया कर नहीं चुकाने में समक्ष नहीं हो पाते है। आयकर विभाग के अनुसार इस नई सुविधा में आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता कुछ शर्तो के साथ बकाया कर का भुगतान बाद में करने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल अग्रिम कर या टीडीएस जैसे कर भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को नोटिस भेजा जाएगा। इसमें कर की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, जिसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा।

ऐसे कर सकते हैं इस सुविधा का इस्तेमाल

1. आयकर के पोर्टल पर जाएं और पैन कार्ड की मदद से लॉगइन करें। इसके बाद ई-फाइल विकल्प में आयकर रिटर्न दाखिल करें चुनें।

2. रिटर्न भरने करने की प्रक्रिया के दौरान जरुरी जानकारियां दर्ज करें। आयकर पोर्टल स्वचालित रूप से गणना करेगा कि कोई अतिरिक्त कर बकाया तो नहीं है। देनदारी होने पर आप 'बाद में भुगतान करें' या 'अभी भुगतान करें' विकल्प का चुन सकते हैं।

3. 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुनने के बाद आईटीआर दाखिल कर सकते है। इसके बाद बकाया कर का भुगतान आयकर विभाग के निर्देशों के मुताबिक करना होगा। तय समयसीमा के भीतर भुगतान करने पर ब्याज नहीं चुकाना होगा।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,

Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

नियोक्ताओं से मिले बिना किराये वाले घर पर देना होगा कम टैक्स

कर्मचारियों को नियोक्ता से मिले बिना किराये वाले घर पर अब पहले से कम टैक्स देना होगा। इससे ऐसे लाखो कर्मियों का वेतन (टेक होम सैलरी) अब ज्यादा आएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके मूल्यांकन से जुड़े नियमों को बदल दिया है। नया नियम एक सितंबर से लागू होगा।

आयकर विभाग के बदले नियम का असर उन कर्मचारियों पर होगा, जिनका वेतन ज्यादा है और उन्हें नियोक्ताओं से किराया मुक्त आवास मिला हुआ है। दरअसल, कई कंपनिया कर्मचारियों को रियायती आवास देती है। कर्मचारी को किराया तो नहीं देना पड़ता, पर इसकी टैक्स देनदारी होती है। इसके लिए रियायती मूल्य तय होता है। इसे वेतन का हिस्सा माना जाता है। यह हिस्सा शहर की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। इसका मूल्यांकन कर उसे वेतन में जोड़ दिया जाता है। सीबीडीटी ने इसी हिस्से की सीमा को कम कर दिया है।

- सीबीडीटी के फैसले से हाथ में आएगा ज्यादा वेतन

बड़े बिजली उपभोक्ताओं को जीएसटी से राहत

प्रदेश की बिजली कंपनियां अब बड़े उपभोक्ताओं के कनेक्शन तथा बिजली से संबंधित अन्य कार्यों में सिर्फ सुपरविजन के आधार पर कार्य के पूरे एस्टीमेट पर जीएसटी नहीं लेंगी । बिजली कंपनियां सिर्फ सुपरविजन चार्ज और इस चार्ज पर लागू जीएसटी ही उपभोक्ता से ले सकेंगी ।

इस फैसले से उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन तथा अन्य कार्यों में खर्च होने वाली बड़ी धनराशि की बचत होगी । अभी यह व्यवस्था पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में लागू की गई है । पूर्वांचल ने अपीलेट अथारिटी आफ एडवांस रूलिंग जीएसटी उ.प्र. में याचिका दायर की थी । अथारिटी ने आदेश दिया कि उपभोक्ता द्वारा बिजली कंपनियों की सुपरविजन में खुद कराए जाने वाले कार्यों के लिए पूरे एस्टीमेट राशि पर जीएसटी नहीं देंगे ।

फ्रॉड करने वालों की जानकारी एक जगह पर उपलब्ध होगी

बैंक डिजिटल धोखाधड़ी रोकने को बना रहे पोर्टल

देश के सभी बड़े बैंक ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। अपने इस प्रयास के तहत बैंकों ने एक नए पोर्टर्ल के लिए रिजर्व बैंक के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है । यह पोर्टर्ल फर्जीवाड़ा करने वालों की जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराएगा । इस पोर्टल में एक साझा नकारात्मक सूची होगी जिससे बैंक ऐसे लोगों की हरकतों पर नजर रख सकेंगे। इससे सभी कर्जदाताओं को धोखाधड़ी के मामलों के बारे में आसानी से जानकारी मुहैया कराई जा सकेगी और बैंकों को एक खाते से अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर होने को रोकने और उसका पता लगाने में मदद मिलेगी । पोर्टल बैंकों को रियल टाइम में यह जानकारी देने में मदद करेगा । बैंकों ने प्रस्तावित पोर्टल पर रिजर्व बैंक के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है।

कैसे होती है धोखाधड़ी

धोखेबाजी के ज्यादातर मामलों में, पैसा अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों में फैले कई खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है । कई बार इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे पैसा वापस मिलने में देरी होती है । कॉमन पोर्टल इन दिक्कतों को खत्म कर सकता है । आरबीआई के ऑनलाइन विवाद समाधान और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की तरफ से उपलब्ध किए गए एकीकृत विवाद समाधान विकल्प को जोड़ने पर भी विचार-विमर्श चल रहा है।

तेजी से बढ़ रही समस्या

2022-23 के दौरान, सरकारी बैंकों ने 21,125 करोड़ रुपये से जुड़े 3,405 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए, जबकि प्राइवेट बैंकों ने 8,727 करोड़ रुपये से जुड़े 8,932 ऐसे मामले दर्ज किए। यह सारे मामले एक लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के हैं । एक मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार

की जा रही है ताकि अनधिकृत लेनदेन को बीच में ही रोक दिया जाए और एक प्रभावी , मजबूत सिस्टम स्थापित किया जाए।

दिशा- निर्देश: आरबीआई के नए नियम जनवरी 2024 से लागू होंगे

कर्ज न चुकाने पर सिर्फ उचित शुल्क ले पाएंगे बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने कर्ज पर लगने वाले 'दंडात्मक ब्याज' के लिए संशोधित नियम जारी किए है। इसके तहत अब बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) कर्ज भुगतान में चूक के मामले में संबंधित ग्राहक से दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल कर सकेंगी। इसके बजाय उन पर उचित दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकेगा। नई व्यवस्था एक जनवरी, 2024 से लागू होगी।

आरबीआई ने कहा, दंडात्मक ब्याज लगाने की मंशा कर्ज लेने वाले में ऋण को लेकर अनुशासन की भावना के लिए होती है। इसे बैंकों द्वारा अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जारी अधिसूचना में आरबीआई ने बैंक और अन्य ऋण संस्थानों द्वारा दंडात्मक ब्याज के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

अधिसूचना में कहा गया है कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण अनुबंध की शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर उससे दंडात्मक शुल्क लिया जा सकता है। इसे दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जाएगा। बैंक दंडात्मक ब्याज को अग्रिम क़िस्त ब्याज दरों में जोड़ देते हैं। नई व्यवस्था में कर्ज लेने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण अनुबंध की शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर उससे दंडात्मक शुल्क लिया जा सकता है। लेकिन इसे दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जा सकेगा। अधिसूचना के मुताबिक, यह किसी कर्ज या उत्पाद श्रेणी में पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि दंडात्मक शुल्क का कोई पूंजीकरण नहीं होगा। ऐसे शुल्कों पर अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।

इन पर लागू होगा

आरबीआई के नए नियम सभी बैंकिंग संस्थाओं पर लागू होंगे। इनमे वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनिया एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी जैसे संस्थान शामिल है।

ये दायरे में नहीं

ये निर्देश क्रेडिट कार्ड, बाहरी वाणिज्यिक कर्ज, व्यापार क्रेडिट आदि पर लागू नहीं होंगे

क्या बदलाव होगा

अभी ईएमआई में चूक से बैंक ब्याज (पीनल इंटेरेस्ट) वसूलती हैं। यह दंडात्मक ब्याज कुल ब्याज में जुड़ने से ईएमआई अधिक हो जाती है। नए नियमों के तहत अब बैंक निर्धारित दंडात्मक शुल्क ही वसूल सकेंगे। इसे कुल ब्याज में नहीं जोड़ा जा सकेगा।

बैंकों पर शिकंजा

- दंडात्मक शुल्क उचित और निश्चित होगा। इस पर अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।
- कुल जुर्माना और उसका कारण कर्ज अनुबंध में बताना होगा। ऑनलाइन जानकारी देनी होगी।
- शुल्क वसूलने के लिए नीति तैयार करनी होगी, जिसे बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी।

फिक्स्ड ब्याज दर का विकल्प मिलेगा

आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों से कहा है की ब्याज दरें नए सिरे से तय करते समय वे कर्ज ले चुके ग्राहकों को ब्याज की निश्चित (फिक्स्ड) दर चुनने का विकल्प उपलब्ध कराएं। इस नियम से माकन, वाहन और पर्सनल लोन लेने वाले लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा। अधिसूचना में आरबीआई ने कहा है कि ऐसा देखने में आया है कि ब्याज दर बढ़ने पर ईएमआई बढ़ा दी जाती है। इस चिंता को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों को उचित नीतिगत ढांचा बनाने को कहा है।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

वित्तीय संस्थानों के लिए निर्देश

1. ईएमआई या कर्ज की अवधि बढ़ने की सूचना उचित माध्यम से तत्काल देनी होगी।

2. ब्याज दर नए सिरे से तय करते समय निश्चित ब्याज दर चुनने का विकल्प देना होगा।

3. कर्ज की अवधि के दौरान विकल्प चुनने के अवसर बताने होंगे, अवधि बढाने के विकल्प देने होंगे।

4. समय से पहले पूरे या आंशिक रूप से कर्ज के भुगतान की अनुमति मिलेगी।

ई-वे बिल पर छोटे व बड़े व्यापारी आमने - सामने

केंद्र सरकार ने आभूषण सेक्टर में भी ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया है। दो लाख रूपये से अधिक कीमत के गहनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ई - वे बिल जनरेट करना जरुरी होगा। इन बिल को लेकर छोटे व बड़े व्यापारी आमने- सामने है।

अन्य उद्यम की तरह आभूषण व्यवसाय सिस्टम से संचालित हो। सरकार ने यह कदम उठाया है। व्यवसाय में तरक्की को लेकर इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

छोटी दुकानों में काम करने वाले कारीगर आर्डर पर आभूषण बनाते है। अब वह कहा कंप्यूटर रखेंगे और कैसे ई- वे बिल जनरेट करेंगे। यह आदेश अव्यवहारिक है।

शहर सराफा बाजार में रोजाना सैकड़ो व्यापारियों का आना- जाना होता है। इसमें अधिकांश छोटे कस्बों के होते है। ई- वे बिल की अनिवार्यता को लेकर छसे व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। इसका विरोध किया जाएगा।

रिफंड का समय घटाने की योजना

राजस्व विभाग कर रिफंड की प्रक्रिया और उसके भुगतान की व्यवस्था में तेजी लाने और इसकी अवधि 16 दिन से घटाकर 10 दिन करने का काम कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नई समयसीमा चल रहे वित्त वर्ष में लागू कर दी जाएगी।

डाकघर के एक खाते से तीन लोग जुड़ सकेंगे

सरकार ने डाकघर बचत खाते से जुड़ी योजनाओं में तीन जरूरी अहम बदलाव किए हैं। डाकघर बचत खाता (संशोधन) योजना-2023 के तहत अब संयुक्त खाताधारकों की संख्या में इजाफा किया गया है। इसके साथ ही रकम निकासी और ब्याज भुगतान संबंधी नियमों को भी संशोधित किया गया है।

केंद्र सरकार ने डाकघर बचत खाते संयुक्त खाता धारकों की संख्या बढ़ा दी है। अब तक दो लोगों के नाम पर ही संयुक्त खाता खोला जा सकता था, अब इसकी संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। यानी परिवार के तीन सदस्य एक खाते में साझेदार होंगे। तीन साझेदार वयस्क होने चाहिए। नाबालिग को संयुक्त खाते में शामिल नहीं किया जा सकता है।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

निकासी नियम में बदलाव: सरकार ने डाकघर के खाते से पैसे निकालने के नियम भी बदले है। अब ग्राहकों को रकम निकासी के लिए फॉर्म-2 की जगह फॉर्म-3 जमा करना होगा। इस बदलाव के बाद अब ग्राहक केवल पासबुक दिखाकर ही खाते से कम से कम 50 रूपये निकाल सकते है। पहले 50 रूपये के लिए भी फार्म 2 भरकर और पासबुक पर हस्ताक्षर कर पैसे निकालने पड़ते थे।

सितंबर में 6 बदलाव, आप पर पड़ सकता है सीधा असर

सितंबर में 6 जरूरी बदलाव होने वाले हैं। इसका असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। इन बदलावों में आईपीओ की सूचीबद्धता अवधि से लेकर डीमैट खातों के लिए नॉमिनी का चयन आदि शामिल हैं।

आईपीओ: अब तीन दिन में होंगे सूचीबद्ध

आईपीओ लाने वाली कंपनियों को एक सितंबर से शेयरों की सूचीबद्धता तीन दिन में करानी होगी। अभी यह छह दिन में होती है। अभी यह स्वैच्छिक है। एक दिसंबर से अनिवार्य होगा। इसका असर यह होगा कि आईपीओ में शेयर नहीं मिलने पर पैसा तीन दिन में ही वापस आ जाएगा।

लघु बचत योजनाओं के लिए पैन-आधार लिंक

लघु बचत योजनाओं के लिए आधार नंबर सब्मिट करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ऐसा नहीं करने पर एक अक्तूबर से आपका खाता बंद हो सकता है। अगर नया खाता है तो इसे शुरू करने के छह महीने के भीतर आधार नंबर सब्मिट करना होता है। नए ग्राहक को तुरंत नंबर देना होता है।

आधार को जल्द करा लें अपडेट

आधार में सूचनाओं को निशुल्क अपडेट करने के लिए बढ़ाया गया तीन माह का समय 14 सितंबर को समाप्त होगा। 15 सितंबर से आधार में सूचनाओं के अपडेट कराने के लिए आपको शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

डीमैट खातों के लिए नॉमिनी

सेबी ने ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी चुनने या न चुनने का विकल्प 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डीमैट खातों से कारोबार करने में समस्या आ सकती है।

एसबीआई वी केयर पर ज्यादा ब्याज

एसबीआई ने वी केयर विशेष एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिसमें उन्हें ज्यादा ब्याज मिलता है।

पीएनबी: केवाईसी अपडेट

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सभी खाताधारकों को केवाईसी अपडेट को 31 अगस्त तक पूरा करने के लिए कहा है। समय के भीतर ऐसा नहीं करने पर आपका खाता बंद हो सकता है। इसके लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

अब बिल्डर नहीं कर सकेंगे परियोजना की धनराशि को बंदरबांट: भूसरेड्डी

अब बिल्डर परियोजना में निवेश की गई धनराशि का बंदरबांट नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डर परियोजनाओं से संबंधित बैंकिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू करने का दावा किया है। अब यूपी रेरा को परियोजनाओं के बैंक खातों की सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बिल्डरों के साथ वित्तीय संस्थाओं व बैंकों की भी होगी।

नई व्यवस्था लागू करने के लिए यूपी रेरा ने गाइडलाइन तैयार कर स्टेट लेवल बैंक कमेटी को भेजने का फैसला लिया है। सेक्टर गामा दो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में इसकी जानकारी देते हुए यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि रेरा के किसी भी बिल्डर परियोजना के पंजीकृत मानकों को पूरा करने के लिए बिल्डर को तीन बैंक खाते कलेक्शन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलने होते है। तीनो खातों की जानकारी रेरा पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इसका उद्देश्य बिल्डर द्वारा बैंक खातों में परियोजना संबंधी जमा धनराशि का रेरा अधिनियम के अनुरूप 70 प्रतिशत परियोजना के निर्माण व विकास में शेष अन्य खर्चो में इस्तेमाल करना सुनिश्चित करना था। रेरा पोर्टल पर हर तीन महीने में बिल्डर को परियोजना की प्रगति रिपोर्ट देनी होती है।

प्राधिकरण द्वारा की गई समीक्षा में कई बिल्डर सभी खातों की जानकारी अपलोड नहीं कर रहे हैं। रेरा चेयरमैन ने बताया कि मौजूदा समय में रेरा के पोर्टल पर 3470 परियोजना पंजीकृत हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिल्डर परियोजना के कलेक्शन अकाउंट में धनराशि आते ही 70 प्रतिशत धनराशि सेपरेट अकाउंट व शेष एक्स्पेंडिचर अकाउंट में हस्तांतरित हो जाएगी।

क्वालिटी कंट्रोल से एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा

आयात में कमी आने से घरेलू निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन, 60 से अधिक उत्पादों के लिए आएंगे मानक

सरकार इन दिनों उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर कई छोटे-छोटे औद्योगिक वस्तुओं के लिए क्वालिटी कंट्रोल आर्डर जारी कर रही है। इस साल 60 से अधिक वस्तुओं के लिए क्वालिटी कंट्रोल नियम को लागू किया जाना है । एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों का कहना है कि सरकार का यह फैसला उनके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) की तरह काम करेगा। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल आर्डर के लागू होने से उस वस्तु का आयात काफी कम हो जाता है और घरेलू बाजार उनके लिए खाली हो जाता है। इसकी मुख्य वजह है कि जिन देशों से भारत में इस वस्तुओं का आयात किया जाता है, वहां की मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां पहले भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफिकेट हासिल करेंगी, फिर भारत में माल भेज सकेंगी। मानक ब्यूरो के अधिकारी के आने-जाने के खर्च से लेकर अन्य तमाम खर्च का वहन उस देश की कंपनी को करना होगा। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने के बाद बहुत कम विदेशी कंपनियां यह प्रक्रिया पूरी कर पाती है। दो साल पहले खिलौने के निर्माण और आयात के लिए क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू किया गया था। उसके बाद खिलौने के आयात में 80 प्रतिशत तक की कमी आई, जिससे खिलौने के घरेलू निर्माण में भारी इजा-फा हुआ और खिलौने के निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

उद्यमियों ने बताया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने पर सरकार इंसेंटिव देती है। क्वालिटी कंट्रोल नियम के लागू करने से पूरा घरेलू बाजार सरकार घरेलू मैन्यूफैक्चरर्स को सौंप देती है क्योंकि आयात कम होने से प्रतिस्पर्धा कम रह जाता है। उन्हें पता होता है कि जो सामान वे बनाएंगे, उसकी बिक्री हर हाल में होगी। क्वालिटी कंट्रोल घरेलू स्तर पर लागू होने से उनके निर्माण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जिससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है।

कुछ दिन पहले सीलिंग फैन के लिए जारी हुए थे मानक नियम

एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों ने बताया कि तीन दिन पहले सीलिंग फैन के निर्माण के लिए क्वालिटी कंट्रोल आर्डर जारी किया गया है। छह महीने बाद इस नियम के लागू होने से सीलिंग फैन के आयात में भारी कमी आएगी और सीलिंग फैन बनाने वाले छोटे उद्यमियों को अपना उत्पादन बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा। हाल ही में घरेलू तौर पर इस्तेमाल होने वाले लाइटर व पोटेबल पानी बोतल के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल नियम जारी किया गया है। अब तक घरेलू स्तर पर बिकने वाली ऐसी वस्तुएं पूरी तरह से आयातित होती है।

नए मानकों से चीन से घटिया उत्पादों के आयात में आएगी कमी

क्वालिटी कंट्रोल के नियम लागू नहीं होने से घटिया मेटेरियल का इस्तेमाल कर उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जिसे सस्ते दाम पर भारत में बेचा जाता है। हाल ही में फुटवियर के लिए क्वालिटी कंट्रोल को लेकर आदेश जारी किया गया है। फुटवियर निर्माताओं के मुताबिक शुरू में क्वालिटी कंट्रोल के मानकों को पूरा करने में थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन आने वाले समय में फुटवियर के घरेलू उत्पादन में भारी इजाफा होना तय है क्योंकि अब चीन से इसका आयात लगभग समाप्त हो जाएगा।

- खिलौना निर्माण और आयात के लिए क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने से आयात में 80 प्रतिशत की कमी
- मानक नियम लागू होने से विदेशी कंपनियों को भी भारतीय मानक ब्यूरो से लेना होगा सर्टिफिकेट

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

भविष्य निधि खाते में 11 विवरण खुद दुरुस्त कर सकेंगे

भविष्य निधि संगठन के पास जमा जानकारियों और दावा करते वक्त फॉर्म में भरी गई जानकारी के मेल नहीं खाने पर कई बार दावा खारिज हो जाता है । अब भविष्य निधि संगठन के सदस्य अपने 11 विवरणों को सही या अपडेट कर सकते हैं। ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार, बदलाव छोटा हो या फिर बड़ा दस्तावेजी साक्ष्यों की जरूरत होगी । छोटे-मोटे बदलाव के लिए निर्धारित सूची में से दो दस्तावेज जमा करने होंगे । बड़े बदलावों की स्थिति में तीन दस्तावेजों की जरूरत होगी।

इन विवरणों में संशोधन संभव होगा

जिन जानकारियों को अपडेट किया जा सकता है , उनमें नाम, लिंग, जन्म तिथि , पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति , जॉइन करने की तिथि , छोड़ने का कारण, छोड़ने की तिथि , राष्ट्रीयता और आधार नंबर शामिल हैं। सर्कुलर के अनुसार, एक ईपीएफ सदस्य को आमतौर पर 11 मापदंडों में से पांच को सही या अपडेट करने की अनुमति दी जा सकती है , भले ही कई आवेदन जमा किए गए हों। जानकारी के अनुसार 11 विवरणों में से सिर्फ वैवाहिक स्थिति की जानकारी को दो बार बदला जा सकता है। बाकी विवरणों में सिर्फ एक ही बार बदलाव किया जा सकता है।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

नाम और लिंग सही करने के लिए आधार चाहिए। छोटे संशोधन के लिए आधार के साथ पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड में से कोई एक। यदि ईपीएफ सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र। बड़े सुधार के लिए आधार के साथ दो और दस्तावेज जमा करने होंगे । जन्म तिथि सही करने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट और आधार जमा।

बदलाव को नियोक्ता सत्यापित करेगा

खाताधारक के दस्तावेज पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएंगे। सदस्य अगर कोई बदलाव करते हैं तो उन्हें नियोक्ता की ओर से सत्यापित कराना होगा । ईपीएफ खाताधारक का अनुरोध नियोक्ता के लॉगिन पर भी दिखाई देगा। इसके अलावा, नियोक्ता की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ऑटोमैटिक ईमेल भेजा जाएगा। ईपीएफ सदस्य केवल उस डाटा को सही करवा सकते हैं जो वर्तमान नियोक्ता की ओर से बनाया गया है । पिछले संस्थानों से संबंधित सदस्य खातों के लिए कोई संशोधन अधिकार नहीं होगा।

आवेदन करने का तरीका

- पोर्टल पर यूएएन से लॉगिन करे
- ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर क्लिक करें। एक ओटीपी आएगा
- तय सूची में दिए गए दस्तावेजों के साथ जरुरी विवरण जमा करें
- अनुरोध को नियोक्ता को भी सत्यापित करना होगा। नियोक्ता अपने रिकॉर्ड से जानकारी की जांच करेगा। यदि यह मेल खाती है, तो संयुक्त घोषणा आवेदन को अपडेशन के लिए ईएफपीओ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। यदि कोई कमी है तो आवेदन ईपीएफ सदस्य को वापस भेज दिया जाएगा। यह जानकारी सदस्य के खाते में दिखाई देगी।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

UP introduces Accident Insurance Scheme for Micro Enterprises to Reach 90 Lakh Beneficiaries

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched accident insurance scheme for micro entrepreneurs in Uttar Pradesh.

Announcing the launch on X (formerly Twitter), he posted, “Hearty congratulations to all the entrepreneurial brothers!”

Inaugurating the Chief Minister’s Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme in Lucknow, he said that more than 90 lakh entrepreneurs of the state with a capital of less than Rs 5 crore and a turnover of less than Rs 40 lakh will benefit under the scheme.

He urged entrepreneurs to register on the entrepreneurship portal of the central government.

“Six years ago, nobody wanted to come to UP but, in the last week, you must have seen the reports of RBI and NITI Aayog which says that UP has become a state with the most investments in the country,” he said.

The scheme offers claims up to Rs 5 lakh in case of death or disability of a micro entrepreneur due to an accident, UP Finance Minister Suresh Khanna had said in June on the approval of the scheme by the state government, ANI had reported. In the event of partial disability, the claim will be given as per the percentage of disability mentioned in the disability certificate issued by the Chief Medical Officer.

“Under the Mukhyamantri Micro Udyami Accident Insurance Scheme, micro-category entrepreneurs aged between 18 and 60 years can apply to avail of its benefits. Micro entrepreneurs, who are not eligible for the trader’s accident insurance scheme run by the GST Department, can immensely benefit from the scheme,” Khanna had said.

DAS HYUNDAI
At Hyundai, We are going
Beyond Mobility
Das Building, Abulane, Meerut
Mob: 9557909977, 9557909988

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

XXXXXXXXXXXXXXXXX